यूपी में उद्यमियों के लिए बदल रहा परिदृश्य

उत्तर प्रदेश में आज से चार साल पहले उद्योग लगाना और चलाना सपने जैसा था। नया निवेश तो दूर, जो उद्योग चल रहे थे, वह भी सरकारों की लचर कार्य प्रणाली से दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे थे। जितने विभाग, उतनी समस्याएं थीं। खासकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) से संबंधित विभिन्न औपचारिकताओं में बहुत जटिलताएं थीं, जिस कारण उद्यमियों को ढेरों परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में उद्यमियों के लिए परिदृश्य बदल रहा है। इससे दूसरे राज्यों को भी सीख लेनी चाहिए।

सत्ता परिवर्तन के बाद 2017 में मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विकास में एमएसएमई की महत्ता को समझते हुए इसे आगे बढ़ाने का प्रयास शुरू किया। पेशेवर अपराधियों पर शिकंजा कस कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया। वर्ष 2018 में इंवेस्टर्स समिट में 4.68 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित हुआ। इतने बड़े स्तर पर प्रस्ताव मिलने से पहले, उस समय इसकी कल्पना भी बड़ी बात थी।

इसके लिए सरकार ने एमएसएमई विभाग को सशक्त करने के साथ नीतियों में ढेरों बदलाव किए। प्रदेश के विशिष्ट उत्पादों की पहचान बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'एक जनपद, एक उत्पाद' (ओडीओपी) की अवधारणा को

पंकज कुमार
(राष्ट्रीय अध्यक्ष, आईआईए)

धरातल पर उतारा। नए उद्योगों की स्थापना में औद्योगिक भूमि मिलने की बाधा को दूर कर सरकार ने उद्यमियों को कई विकल्प दिए। ग्रामीण भूमि को औद्योगिक प्रयोग के लिए देने की दशा में सरकारी प्रक्रियाओं को सरल किया गया है।

भूमि की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वर्तमान औद्योगिक आस्थानों और औद्योगिक क्षेत्रों में नियमों के अधीन फेडरल एक्सटेंशन रेग्यूलेशन (एफएआर) को बढ़ाया गया है। नई इकाइयों के लिए सरकार ने 1000 दिन तक बिना लाइसेंस के उद्योग चलाने का अवसर दिया है। निजी और सरकारी औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए राजस्व संहिता की धारा 80 के अनुसार अकृषक भूमि घोषित कराने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि औद्योगिक विभाग को स्वीकृति के लिए बहुत कम शुल्क में भू उपयोग परिवर्तन होगा। सरकार के इन प्रयासों से भूमि उपलब्धता की बाधा काफी हद तक दूर हुई है।

उद्योगों के लिए अब 72 घंटे में एनओसी

पहले उद्योगों को एनओसी मिलने में कई बार कई साल लग जाते थे, लेकिन अब 72 घंटे में एनओसी दी जा रही है। लंबित भुगतान के लिए 18 मंडलों में फैसिलिटेशन काउंसिल का गठन किया गया है, जबकि प्रदेश में पहले यह सिर्फ कानपुर में था। सरकार पारंपरिक कुटीर उद्योगों को कई प्रकार की सहूलियतें और रियायतें दे रही है। उद्योगों के सामान के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट (जेम) और ट्रेड रिसिवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स) पोर्टल शुरू किया है। इसके जरिए एमएसएमई और अन्य उद्यमियों से खरीदारी में देश में उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर है। आंकड़ों के मुताबिक देश में जेम पोर्टल से 96 हजार करोड़ से ज्यादा की खरीद हुई है, जिसमें 80 हजार करोड़ से ज्यादा की खरीद यूपी ने अकेले की है।

रोजगार के बढ़े अवसर

उप विशिष्ट उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता से संपन्न है। इसके ज्यादा से ज्यादा उपयोग के लिए विशेष क्षेत्र औद्योगिक पार्क का काफी महत्व है। राज्य में पहला बायोटिक पार्क लखनऊ में लगाया गया है। गेल पर्याप्त मात्रा में पॉलिमर की उपलब्धता का लाभ उठाने के लिए औरैया में कच्चे माल के रूप में पॉलिमर पर आधारित एक प्लास्टिक पार्क लगा रहा है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बुंदेलखंड क्षेत्र में 3525 हेक्टेयर भूमि में छह जिलों लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट में बनाया जा रहा है। इससे बुंदेलखंड क्षेत्र में 20 हजार करोड़ का निवेश और ढाई लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की आशा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कॉरिडोर के लिए 1370 हेक्टेयर भूमि खरीदी जा चुकी है और करीब 29 सौ करोड़ के निवेश प्रस्ताव पास हुए हैं।

औद्योगिक विकास के लिए सरकार का रुख सकारात्मक

नोडल एजेंसी यूपीडा ने अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर के लिए अधिग्रहीत भूमि 15 उद्यमियों को आवंटित की है। यहां 78 हेक्टेयर भूमि पर डिफेंस पार्क बनेगा। अलीगढ़ में निवेश के लिए 25 उद्यमियों ने यूपीडा से एमओयू किया है। इसमें करीब 15 सौ करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। एमएसएमई के विकास के लिए इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) अपने स्तर से भी प्रयासरत है। लखनऊ में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्गनाईजेशन (डीआरडीओ) से संबंधित ढेर सारे सामानों का उत्पादन अधीनस्थ इकाई के रूप में एमएसएमई करती है। इसके प्रभावी रूप से क्रियाशील होने पर एमएसएमई को और लाभ होगा। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) के दृष्टिकोण में सरकार का रुख औद्योगिक विकास और एमएसएमई की मजबूती के लिए सकारात्मक है। इसमें प्रदेश सरकार के एक ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य पूर्ण होने की पूरी संभावना है। प्रदेश में पूरी एमएसएमई एक्ट लागू होने पर इंडस्ट्रीज को और लाभ मिलेगा तथा पसंदीदा स्थान के रूप में स्थापित करने में भी मील का पत्थर साबित होगा।